संसद के समक्ष अभिभाषण – 13 मई 1957

लोक सभा	-	दूसरी लोक सभा
सत्र	-	दूसरे आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरु
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर

माननीय सदस्यगण,

देश के लगभग 20 करोड़ निर्वाचकों द्वारा चुने गए आप लोगों ने और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों ने, हमारे संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार, एक बार फिर इस गणराज्य के राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए मुझे चुना है। मैं इस आदर से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं और आपने जो विश्वास मुझमें प्रकट किया है उसके लिए आपका आभारी हूं। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि जिस विश्वास और प्रेम का इतने समय से मैं पात्र रहा हूं, सदा उसके योग्य बना रहूं।

हमारे गणराज्य के इतिहास में यह दूसरी संसद है और इसके सदस्यों के रूप में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से कुछ लोग संसद के किसी सदन के सदस्य रहे हैं अथवा राज्यों के विधान मंडलों से बहुमूल्य सांसद अनुभव अपने साथ लेकर आए हैं। आप लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो संसद के लिए पहली बार चुने गए हैं। आप सबको अपने जीवन में तथा संसद के सदस्य के रूप में इस संसद के अन्दर और चुनाव क्षेत्रों में अपने देशवासियों की सेवा के रचनात्मक काम के लिए विभिन्न और व्यापक अवसर मिलेंगे।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह दूसरा साल है। योजना के पहले वर्ष में हमारी गति अनिवार्य रूप से कुछ मन्द हुई है, जिसका कारण किसी हद तक राज्यों का पुनर्गठन है। इसके कारण हम पर अधिक दबाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता है कि योजना की शेष अवधि में सरकार और जनता द्वारा और अधिक परिश्रम किया जाए। मेरी सरकार इस बात को भली प्रकार जानती है।

देश की आर्थिक स्थिति, विशेषकर योजना से संबंध रखने वाली बातें जो इस समय हमारे सामने हैं, गंभीर चिन्तन का विषय है और मेरे मंत्रियों का ध्यान उस ओर है, किन्तु इस स्थिति को भयावह कहना गलत होगा। केन्द्रीय और राज्यों के घाटे के बजट, योजना की आवश्यकताएं, विदेशी विनिमय के साधनों का अभाव और कुछ बाहरी मामले इस बात की मांग करते हैं कि हम दृढ़ और योजनाबद्ध प्रयत्न करें। आवश्यकता इस बात की है कि हम साधनों को सुरक्षित रखें और मितव्ययिता द्वारा कुछ चीजों के आयात पर प्रतिबन्ध, निर्यात व्यापार के विस्तार और उद्योग तथा कृषि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता में वृद्धि द्वारा इन साधनों का विस्तार करें। इस बात की भी जरूरत है कि उत्पादक कार्यों के लिए धन जुटाया जाए, अन्नोत्पादक कामों को हाथ में न लिया जाए और अतिसंग्रह और सट्टे की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों का दमन किया जाए। केवल सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि जनता द्वारा भी प्रयत्न करने और सावधान रहने से ही इस काम में ठोस सफलता प्राप्त हो सकती है।

जिन कमियों का मैंने जिक्र किया उन्हें दूर करने का अधिक आसान तरीका यह हो सकता है कि हम निर्माण-संबंधी काम को स्थगित कर दें पर वह तरीका रचनात्मक या लाभदायक नहीं है, क्योंकि समस्या को सुलझाने का यह सच्चा या स्थायी उपाय नहीं है। हमें अधिक उत्पादन करने और निर्माण-कार्य में सुधार को बनाए रखने के लिए अपने साधनों को जुटाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। मेरी सरकार इस समस्या और इसके लिए आवश्यक प्रयत्न से पूर्ण रूप से अवगत है। उसे इस बात की भी चिन्ता है कि इन तात्कालिक कठिनाइयों के कारण उन्नति के मार्ग में बाधा न पड़ने पावे और जहां जैसी जरूरत हो, कार्यप्रणाली में संशोधन द्वारा या योजनानुसार साधनों को जुटाकर उन कठिनाइयों पर काबू पाया जाये और किसी भी अवस्था में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विकास की गति धीमी न होने दी जाये।

ऐसे प्रयत्न की सफलता में जनमत का बहुत बड़ा स्थान है, और यह प्रायः निर्णायक सिद्ध होता है। जनसाधारण का दृढ़ निश्चय और जोश, अनुशासन में रहने के लिए उनकी तत्परता, प्रयत्नों के लिए आह्वान का स्वागत और समाज-विरोधी व्यवहार, जैसे अतिसंचय, फिजूलखर्ची आदि की रोकथाम करने का उनका संकल्प ही देश के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के इस संकट काल को पार करने में सहायक होगा।

संसद के सदस्यगण, इस संबंध में मेरी सरकार जो नीति अपनायेगी तथा प्रयास करेगी, जिनके द्वारा कठिनाइयां दूर कर हमें सफलता प्राप्त करनी है, उस नीति के समर्थन के लिए विशेष तथा सतत प्रयत्न की देश आप से बहुत आशा करता है।

यद्यपि अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है और दैवी विपत्तियों के कारण जो हानि हुई है, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, उसे छोड़कर वृद्धि बराबर बनी रही है, हमें खाद्य के संबंध में देश को आत्म-भरित बनाने के लिए अभी

बहुत कुछ करना है। अनाज की चढ़ी हुई कीमतों के गिरने के कुछ लक्षण दिखाई दिये हैं और मेरी सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए बहुत से उपाय किये हैं। भरपूर प्रयत्नों के फलस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ा है और फसल में सुधार हुआ है। कुछ मोटे अनाजों को छोड़कर, जिन पर जलवायु का बुरा प्रभाव पड़ा है, अनुमान है कि दूसरे अनाजों का उत्पादन यही नहीं कि कम नहीं हुआ बल्कि पहले से बहुत बढ़ा भी है।

अभी भी जो अभाव है उसे दूर करने और कीमतों में तेजी रोकने के लिए सुरक्षित अन्न भण्डार तैयार करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने विदेशों से अनाज आयात करने की व्यवस्था की है। अनाज भण्डार बनाने का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। अनाज की कीमतों में तेजी रोकने के लिए, जो स्थिति अभाव की आशंका और घबराहट तथा अतिसंचय करने की प्रवृत्ति से पैदा होती है, जनता का रुख निर्णायक होता है और उसका बहुत महत्व है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनके परिणामस्वरूप और उत्पादन में वृद्धि के कारण खाद्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि जनता किसी भी प्रकार के अविश्वास की भावना को स्थान दे। अनाज की उपलब्धि और आवश्यकता के बारे में मेरी सरकार का यह विचार है कि वह समय-समय पर संसद को खाद्य-स्थिति से अवगत करायेगी। आशा है कि अनाज के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त होने से निराधार आशंका, कृत्रिम अभाव और कीमतों की तेजी—इन तीनों की रोकथाम हो सकेगी।

मेरी सरकार को यह बताने में खुशी होती है कि सामुदायिक योजना संबंधी कार्यक्रम में उन्होंने अनाज के उत्पादन पर जोर देने का निश्चय किया था, उसके फलस्वरूप बहुत लाभ हुआ है। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा संबंधी कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। खेती, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्रों में हमारे जो लक्ष्य थे, सफलता उनसे भी अधिक रही है। राष्ट्रीय निदर्शन अधीक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) के अनुसार, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतिम काल में, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा मंडलों के क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन सारे देश के मुकाबले में प्रायः 25 प्रतिशत अधिक हुआ। सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विकास सेवा के अंतर्गत इस समय 2,22,000 ग्राम हैं।

सरकारी व्यवसायों की उल्लेखनीय उन्नति रही है और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा। व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक परिनियत संस्था के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की नियुक्ति से, ग्रामीण-उद्योगों तथा खादी को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। नई बड़ी योजनाओं में, जिस योजना का हाल ही में उद्घाटन होने जा रहा है वह नेवेली लिग्नाइट योजना है, जिस पर कार्य इसी महीने से आरम्भ हो रहा है। मेरी सरकार भारी मशीनों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना को महत्वपूर्ण मानती है और इस दिशा में कार्यवाही कर रही है।

विदेशी विनिमय के साधनों पर दबाव कम करने के लिए, बड़ी योजनाओं के संबंध में मेरी सरकार ने बाद में दाम चुकाने की व्यवस्था की है। कुछ योजनाओं के संबंध में दीर्घकालीन उधार की व्यवस्था की जा रही है।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद संघीय प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री समितियां नियुक्त की गई हैं और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तथा त्रिपुरा के लिए प्रदेशीय परिषदों की स्थापना की गई है। दिल्ली के लिए शीघ्र ही एक निगम स्थापित होगा। लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमनदीव द्वीपों को मिलाकर एक नवीन संघीय प्रदेश बनाया गया है और अन्डमान द्वीपों के लिए पंचवर्षीय योजना में 5,92,50,000 रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है, जिससे और कामों के अतिरिक्त इस द्वीपसमूह और भारत के बीच यातायात की उचित व्यवस्था भी की जायेगी।

जहाज-घाटों और आधुनिक ढंग के जहाजों के निर्माण के काम में भी विशाखापट्टनम में बहुत प्रगति हुई है और एक दूसरे जहाज-घाट के निर्माण की योजना इस समय हाथ में है।

मेरी सरकार ने हाल ही में घरों की कमी दूर करने और निवास-संबंधी स्तर को ऊंचा करने, गन्दी बस्तियों में सुधार करने, बगीचों में घरों की व्यवस्था करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। दिल्ली और भारत के दूसरे बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने की तात्कालिक आवश्यकता है और इस समस्या पर केन्द्रीय सरकार, राज्यों की सरकारें और संबंधित निगम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

संसद के पिछले सत्र के बाद दो अध्यादेश जारी किये गये हैं। तत्संबंधी विधेयक संसद के सामने रखे जायेंगे। वे इस प्रकार हैं:—

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1957

(2) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अध्यादेश, 1957

चालू सत्र में मेरी सरकार संसद के समक्ष कई और विधेयक प्रस्तुत करेगी।

1957-58 का आय-व्यय संबंधी अन्तरिम विवरण संसद के पिछले सत्र में पेश किया गया था और मतदान द्वारा वर्ष के एक भाग के लिए खर्च की मंजूरी ली गई थी। आय-व्यय का यह विवरण आवश्यक संशोधनों के साथ संसद के सत्र में फिर पेश किया जाएगा, और वर्षभर के खर्च के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

विदेशों से हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण चले आ रहे हैं। संसद के समक्ष पिछली बार मैंने जब भाषण दिया था उसके बाद हमें पोलैंड के प्रधान मंत्री, श्री जाजेफ सिरेंकीविज; संघीय जर्मन गणतन्त्र के विदेश मंत्री, डॉ. हेनरीश ब्रान ब्रेन्टानो; और चिली के विदेश

मंत्री, श्री आस्काल्डो सेन्ट मेरी का भारतीय गणराज्य के अभ्यागतों के रूप में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

जून के अंत में लन्दन में होने वाले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में मेरे प्रधान मंत्री भाग लेंगे। इस विदेश प्रवास के समय वे सीरिया, डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, मिस्र और सूडान की भी यात्रा करेंगे।

मध्यपूर्व में स्थिति संतोषजनक नहीं है और वहां तनाव बराबर बना है, फिर भी यह हर्ष का विषय है कि स्वेज नहर जहाजरानी के लिए फिर से खुल गई है। नहर खोलने से पहले मिस्र की सरकार ने एक घोषणा की थी जो 1956 की संप्रतिज्ञा को पुष्ट करती है और अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के सिद्धांतों का मिस्र द्वारा अनुसरण करने का दृढ़ निश्चय प्रकट करती है। मेरी सरकार उस घोषणा का स्वागत करती है। उस घोषणा में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिज्ञा की व्याख्या अथवा उसके लागू किये जाने के संबंध में और कुछ जरूरी मामलों के बारे में जो विवाद पैदा हों, उन्हें निर्णय के लिये विश्व न्यायालय के सामने पेश किया जाए और इस न्यायालय के फैसले को बाध्य समझा जाए। मेरी सरकार की राय में उस घोषणा की प्रमुख धारायें युक्तिसंगत हैं और यदि सभी संबंधित पक्ष पारस्परिक सद्भावना तथा सहयोग की भावना से उन पर अमल करें, वे संसार के राष्ट्रों के उचित हितों की रक्षा करने के लिए काफी हैं। इस घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यद्यपि यह मिस्र की सरकार द्वारा की गई है, उसने यह घोषित किया है कि इस घोषणा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का होगा और यह घोषणा और इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून के दर्जे ने उस क्षेत्र में तनाव की भावना को कम करने के मार्ग को प्रशस्त किया है और उसके द्वारा उन सभी समस्याओं को सुलझाने का जो स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद पैदा हुई थी, रास्ता निकल सकेगा।

सुरक्षा परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष, डॉ. गुनार यारिंग ने, 21 फरवरी को कश्मीर संबंधी विवाद के अंत में सुरक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार, पाकिस्तान और भारत की यात्रा की। डॉ. यारिंग दो बार भारत आये और उन्होंने मेरे प्रधान मंत्री से बातचीत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुरक्षा परिषद् को दे दी है।

नि:शस्त्रीकरण कमीशन की उप-समिति की बैठक कुछ समय से लन्दन में हो रही है, किन्तु, नि:शस्त्रीकरण के किसी भी पहलू पर अभी कोई समझौता हुआ नहीं जान पड़ता है। आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के विस्फोट रोकने के संबंध में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। नि:शस्त्रीकरण के संबंध में मेरी सरकार के प्रस्ताव एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के द्वारा अन्य प्रस्तावों के साथ नि:शस्त्रीकरण कमीशन के पास भेज दिये गये।

इस बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ और अब ब्रिटेन भी सार्वजनिक विध्वंस के इन शस्त्रों के विस्फोट-संबंधी प्रयोग करते रहे हैं। इन विस्फोटों का विषैला प्रभाव संसार के विभिन्न भागों में अधिकाधिक देखा जाने लगा है और विश्व जनमत इन विस्फोटों द्वारा होने वाली हिंसा से चिन्तित हो उठा है। इन विस्फोटों के बन्द करने की मांग व्यापक है और आणविक शक्तियों को इससे बराबर अवगत किया जा रहा है, किन्तु अभी तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकला।

मेरी सरकार का मत है कि विभिन्न देशों द्वारा इन विस्फोटों को सीमाबद्ध और पूर्वसूचित करने के संबंध में जो सुझाव किये गये हैं, उनको यह आशा नहीं होती कि विस्फोटों के हानिकर प्रभावों से वे संसार को सुरक्षित रख सकेंगे। इसके विपरीत, इन प्रयोगों के किसी भी प्रकार के नियमन का एकमात्र परिणाम यह होगा कि लोग आणविक तथा परमाणविक युद्ध को न्यायोचित और विश्व जनमत द्वारा समर्थित समझने लगेंगे। युद्ध के अधिक से अधिक घातक शस्त्रों के प्रयोग की खबरें बराबर आ रही हैं। संतोष की बात केवल यही है कि संसार का जनमत इन प्रयोगों का आज पूर्वापेक्षित अधिक विरोधी है। अप्रैल, 1954, में मेरे प्रधान मंत्री ने, लोक सभा के सामने एक वक्तव्य में इन विस्फोटों के रोक के संबंध में "यथास्थिति" समझौते के रूप में कुछ प्रस्ताव रखे थे। तबसे इन प्रस्तावों को विभिन्न देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है और काफी जनमत इनके पक्ष में है। विश्व के दूसरे राष्ट्रों के साथ, मेरी सरकार इन प्रयोगों की रोकथाम और आणविक तथा परमाणविक शस्त्रों के बहिष्कार के लिये दूसरे राष्ट्रों और विश्व-परिषदों के समक्ष बराबर अपना प्रभाव डालती रहेगी।

आज हम उस महान् विद्रोह के पूरे एक सौ वर्ष बाद मिल रहे हैं जो मेरठ में आरम्भ हुआ था और बाद में भारत के अधिकांश भागों में फैल गया था। इस देश में विदेशी शासन को वह पहली प्रमुख चुनौती थी और इसके कारण कुछ विभूतियां प्रकाश में आयीं जो हमारे देश के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इस विद्रोह का नृशंसता के साथ दमन किया गया, किन्तु स्वाधीनता की भावना और विदेशी शासन से मुक्त होने की इच्छा दबाई नहीं जा सकी और बाद में अनेक अवसरों पर वह उभरती रही। अंत में, उसने एक महान् राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप लिया, जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चला और जिसके फलस्वरूप हम स्वाधीनता प्राप्त करने और भारतीय गणराज्य की स्थापना करने में सफल हुये। उन सबके प्रति, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जीवन की आहुति दी अथवा नाना प्रकार के कष्ट सहे, हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

भारत को स्वाधीन हुए आज करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और इस अवधि में संसद देश की जनता की उन्नति तथा कल्याण और विश्व में सहयोग तथा शांति स्थापना के लिये प्रयत्नशील रही है। इन प्रयत्नों का फल काफी ठोस रहा है जो हमें इस देश में चारों ओर दिखाई देता है। इन वर्षों में जो चहुंमुखी उन्नति हमने की है उससे लोगों में आशा और आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। भावी निर्माण और विकास की यह सुदृढ़ नींव है।

देश के बाहर मेरी सरकार का यह जोरदार प्रयत्न रहा है कि संसार में तनाव की भावना को कम किया जाए और विश्व-शांति के पक्ष को दृढ़ बनाया जाए। इस विचारधारा के परिणामस्वरूप, अपनी नीति को स्वाधीन रखने के लिए और कोरिया, इन्डो-चाइना और अब मध्यपूर्व में भी शांति की स्थापना में योगदान देने के लिए, हमारे देश ने भारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में हमारे सामने जो काम हैं वे बहुत अधिक ही नहीं, कभी-कभी बहुत भारी भी दिखाई देते हैं। किन्तु, यदि स्वाधीनता को देश में लोगों के लिये वरदान बनाना है और यदि सतत् तनाव और भावी विभीषिका से संसार को मुक्त कराने में हमें सहायक होना है, तो ये सब काम हमें करने होंगे, कठिनाइयों पर विजय पानी होगी और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये हैं, उन्हें प्राप्त करना होगा।

इन सभी दिशाओं में मेरी सरकार बराबर यथाशक्ति प्रयत्न करती रहेगी। यह धारणा कि उसे देश की जनता का समर्थन प्राप्त है और यह अडिग विश्वास कि युद्ध के उमड़ते हुए बादलों और निराशा के बावजूद भी मानव जाति में प्रगति करने और जीवित रहने की नैसर्गिक आकांक्षा है, मेरी सरकार का बल है। हमारी क्षमता और साधन सीमित हैं और संसार में हमारी आवाज संभवत: बहुत ऊंची नहीं है, किन्तु, राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से, हमारे इतिहास और परम्पराओं तथा विश्वासों को देखते हुए हम किसी और रास्ते को नहीं अपना सकते। यह सौभाग्य का विषय है कि संसार भर के सभी लोगों का यह सामान्य ध्येय और उत्कृष्ट इच्छा है।

संसद के सदस्यगण, मैं आपके प्रयत्नों में आप सबकी सफलता की कामना करता हूं।